


दुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

2.9.20


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
दुकम की तामील  
में जारी हुए

पञ्जाबी ये रजि व नुपाम उभा  
का रजि प्रतिलिपि (212) नी- सुनी गेडा  
फिरोजा प्रतिलिपि हेतु डिमिड 29.9.20  
को- ये रजि रजि

  
सहायक कमिश्नर  
(S.D.O.), खीवास

29.9.20


पञ्जाबी ये रजि व नुपाम उभा  
प्रतिलिपि का प्रतिलिपि (सीकर- फिरोजा प्रतिलिपि)  
ये विलुप्त फिरोजा प्रतिलिपि से विलुप्त  
फिरोजा प्रतिलिपि का रजि प्रतिलिपि  
फिरोजा प्रतिलिपि प्रतिलिपि- सुभर  
ये रजि- का रजि प्रतिलिपि- सुभर

  
सहायक कमिश्नर  
(S.D.O.), खीवास


आदेश

अतः मौजा बिरलोका के ख.न. 1276 रकबा 35.19 बीघा की आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे, एवं और न ही विक्रय करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया था। के पूर्व आदेश दिनांक 27.12.2011 को ता-फैसला वाद तक स्थाई (Confirm) किया जाता है।

नोट:- उपरोक्त खसरां पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

  
राजकेश मीना RAS  
(सहायक कलक्टर)  
खीवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : 29.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

  
राजकेश मीना RAS  
(सहायक कलक्टर)  
खीवसर